कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. – 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 242/2026

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 23.06.2026

थाना पवई, जनपद आजमगढ़

□ "ऑपरेशन वज्रपात" के तहत सोशल मीडिया पर सक्रिय "माफिया किंग" गैंग चिन्हित

□ इंस्टाग्राम पर गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने वाले युवक पर पुलिस की कार्यवाही, अभिभावकों की मौजूदगी में की गई काउंसलिंग

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में संचालित "ऑपरेशन वज्रपात" अभियान के क्रम में क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में बढ़ रही गैंग संस्कृति एवं दबंगई के प्रदर्शन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

अभियान के दौरान थाना पवई पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम की निगरानी में संज्ञान में आया कि कुछ युवक "माफिया किंग" नाम से गैंग बनाकर क्षेत्र में भ्रमण करते हुए वीडियो एवं रील पोस्ट कर रहे हैं। ऐसी गतिविधियों से आमजन में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है।

जांच के दौरान संगम पुत्र अरविन्द निवासी कछरा, थाना पवई, जनपद आजमगढ़ को चिन्हित किया गया, जो निम्न इंस्टाग्राम आईडी के माध्यम से गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने वाली सामग्री प्रसारित कर रहा था—

0001_azamgarh_up50
denjar__dada__1818_1891

थाना पवई पुलिस द्वारा संबंधित युवक को उसके अभिभावकों सहित थाना परिसर बुलाकर काउंसलिंग की गई तथा कानून-व्यवस्था, यातायात नियमों एवं सोशल मीडिया के दुरुपयोग से होने वाले कानूनी एवं सामाजिक दुष्परिणामों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहने की सख्त चेतावनी दी गई।

कार्यवाही के दौरान संबंधित युवक के विरुद्ध धारा 126/135 बीएनएसएस के अंतर्गत विधिक कार्यवाही भी की गई।

पुलिस द्वारा अभिभावकों से अपील की गई कि वे अपने बच्चों की सोशल मीडिया गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखें तथा उन्हें शिक्षा, खेलकूद एवं अन्य सकारात्मक कार्यों में सहभागिता हेतु प्रेरित करें।

पुलिस टीम
उ0नि0 विशाल चक्रवर्ती
आरक्षी विकास यादव
रिक्रूट आरक्षी पुष्कर सिंह

जनपद पुलिस द्वारा "ऑपरेशन वज्रपात" के अंतर्गत गैंग संस्कृति, सोशल मीडिया पर दबंगई के प्रदर्शन एवं कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही निरंतर जारी है।

थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

□ साइबर टीम सिधारी की त्वरित कार्रवाई, पीड़ित के खाते में वापस कराए गए ₹6,500

□ गलत खाते में ट्रांसफर हुई धनराशि साइबर सेल के समन्वय से कराई गई रिफंड, नागरिकों को किया गया जागरूक

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में साइबर अपराधों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना सिधारी पुलिस को एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है।

आवेदक अथर्व पाठक पुत्र श्रीकांत पाठक निवासी घोरठ, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़ द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई कि धनराशि प्रेषित करते समय त्रुटिवश ₹6,500 किसी अन्य खाते में स्थानांतरित हो गई थी। इसके संबंध में आवेदक द्वारा साइबर शिकायत दर्ज कराई गई।

शिकायत प्राप्त होने पर थाना सिधारी की साइबर टीम द्वारा साइबर सेल आजमगढ़ से तकनीकी सहयोग प्राप्त करते हुए त्वरित एवं प्रभावी कार्रवाई की गई। अथक प्रयासों के फलस्वरूप आवेदक की ₹6,500 की धनराशि नियमानुसार उसके खाते में वापस कराई गई।

कार्यवाही के उपरांत आवेदक को साइबर सुरक्षा के संबंध में जागरूक करते हुए बताया गया कि किसी भी अज्ञात व्यक्ति के साथ अपनी निजी जानकारी, बैंकिंग विवरण अथवा ओटीपी साझा न करें। किसी भी प्रकार की साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, राष्ट्रीय साइबर अपराध पोर्टल अथवा निकटतम पुलिस स्टेशन स्थित साइबर हेल्प डेस्क पर संपर्क करें।

पुलिस टीम

उ0नि0 स्मिता गुप्ता, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़
का0 महेश कुमार, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़
का0 पवन गुप्ता, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़
का0 सोनू कुमार, थाना सिधारी, जनपद आजमगढ़

जनपद पुलिस साइबर अपराधों की रोकथाम एवं पीड़ितों को त्वरित राहत दिलाने हेतु सतत प्रतिबद्ध है।

थाना तरवां, जनपद आजमगढ़

□ "ऑपरेशन वज्रपात" के तहत सोशल मीडिया पर गैंग संस्कृति को बढ़ावा देने वाले 02 युवकों पर पुलिस की कार्यवाही

□ आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित करने एवं अवैध गतिविधियों से जुड़ने के प्रयास पर कानूनी कार्रवाई, दी गई कड़ी चेतावनी

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में संचालित "ऑपरेशन वज्रपात" अभियान के अंतर्गत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की सतत निगरानी की जा रही है। अभियान का उद्देश्य युवाओं में बढ़ रही गैंग संस्कृति, दबंगई के प्रदर्शन तथा सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर प्रभावी अंकुश लगाना है।

इसी क्रम में थाना तरवां पुलिस द्वारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग के दौरान ऐसे दो व्यक्तियों को चिन्हित किया गया, जो सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट प्रसारित कर रहे थे तथा अवैध गैंग से संबद्धता प्रदर्शित करने का प्रयास कर रहे थे। उक्त गतिविधियों से क्षेत्र में भय एवं असुरक्षा का वातावरण उत्पन्न होने की संभावना थी।

चिन्हित व्यक्ति-

01. आदित्य यादव पुत्र रामजी यादव निवासी ग्राम पट्टीभिखारी, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 21 वर्ष।
02. शुभम यादव पुत्र संतोष यादव निवासी ग्राम पट्टीभिखारी, थाना तरवां, जनपद आजमगढ़, उम्र लगभग 20 वर्ष।

थाना तरवां पुलिस द्वारा दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 170/126/135 बीएनएस के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की गई। साथ ही उन्हें सोशल मीडिया के जिम्मेदार एवं विधिसम्मत उपयोग के संबंध में जागरूक करते हुए भविष्य में किसी भी अवैध समूह, गैंग गतिविधि अथवा सोशल मीडिया पर स्टंटबाजी एवं आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित न करने की सख्त चेतावनी दी गई।

जनसुरक्षा संदेश-

जनपद पुलिस आमजन से अपील करती है कि सोशल मीडिया का उपयोग जिम्मेदारीपूर्वक करें। किसी भी प्रकार की गैंग संस्कृति, हथियारों के प्रदर्शन, धमकीपूर्ण पोस्ट अथवा कानून-व्यवस्था प्रभावित करने वाली गतिविधियों को बढ़ावा देने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

पुलिस टीम-

थानाध्यक्ष चन्द्रदीप कुमार
उ0नि0 राजेश कुमार पाण्डेय
उ0नि0 अतुल मिश्रा
उ0नि0 शिवम द्विवेदी
का0 शहबाद अहमद

"ऑपरेशन वज्रपात" के तहत जनपद पुलिस की प्रभावी कार्यवाही निरंतर जारी है।

थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़
□ "ऑपरेशन वज्रपात" के तहत सोशल मीडिया पर सक्रिय "5555 गैंग" चिन्हित
□ इंस्टाग्राम पर गैंग संस्कृति का प्रदर्शन करने वाले युवकों की पुलिस ने की काउंसलिंग, अभिभावकों को भी किया गया जागरूक

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में जनपद में संचालित "ऑपरेशन वज्रपात" के क्रम में क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा सोशल मीडिया के माध्यम से युवाओं में बढ़ रही गैंग संस्कृति एवं दबंगई के प्रदर्शन पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी फूलपुर श्री किरण पाल सिंह के कुशल नेतृत्व में थाना फूलपुर पुलिस द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों की निगरानी के दौरान संज्ञान में आया कि कुछ युवक इंस्टाग्राम पर "5555 गैंग" नाम से समूह बनाकर क्षेत्र में भ्रमण करते हुए वीडियो एवं रील पोस्ट कर रहे हैं। ऐसे कृत्यों से आम जनमानस में भय एवं असुरक्षा की भावना उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है।

जांच के दौरान गैंग के सक्रिय सदस्यों की पहचान निम्नवत की गई—

01. रौनक उर्फ राजा बाबू पुत्र रामधारी निवासी मद्दूपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ (लीडर)
02. प्रियांशु सिंह उर्फ मनन सिंह पुत्र भूपेन्द्र सिंह निवासी मद्दूपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ (सदस्य)

पुलिस द्वारा दोनों युवकों को उनके अभिभावकों सहित थाना परिसर बुलाकर काउंसलिंग की गई तथा कानून-व्यवस्था, यातायात नियमों एवं सोशल मीडिया के दुरुपयोग से होने वाले कानूनी एवं सामाजिक दुष्परिणामों के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की गतिविधियों से दूर रहने की सख्त हिदायत दी गई।

अभिभावकों से अपील की गई कि वे अपने बच्चों की गतिविधियों पर सतर्क निगरानी रखें तथा उन्हें कानून का पालन करने, शिक्षा, खेलकूद एवं अन्य सकारात्मक गतिविधियों में सहभागिता हेतु प्रेरित करें।

चिन्हित इंस्टाग्राम आईडी—

thakur-ji---5555
thakur-ji---5555.-up50

➡□ जनपद पुलिस द्वारा स्पष्ट किया गया है कि सोशल मीडिया के माध्यम से गैंग संस्कृति, दबंगई अथवा भय का वातावरण उत्पन्न करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी कठोर एवं प्रभावी कार्यवाही जारी रहेगी।

पुलिस टीम-

01. उ0नि0 दयानन्द
02. कां0 दुर्गेश विश्वकर्मा
03. कां0 शनि कुमार वर्मा

"ऑपरेशन वज्रपात" के तहत जनपद पुलिस की कार्यवाही निरंतर जारी है।

थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़
□ शादी समारोह में परिवार के बाहर रहने का लाभ उठाकर मकान में जबरन घुसकर कब्जा करने का प्रयास, 03 महिलाएं गिरफ्तार
□ घर का दरवाजा तोड़कर सामान रखने एवं जान से मारने की धमकी देने के मामले में कोतवाली पुलिस की त्वरित कार्रवाई

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ डॉ0 अनिल कुमार के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा मकान में अवैध रूप से घुसकर कब्जा करने एवं धमकी देने के मामले में 03 महिला अभियुक्ताओं को गिरफ्तार किया गया है।

घटना का विवरण

वादी **सुधांशु चतुर्वेदी** पुत्र स्व0 लक्ष्मीकान्त चतुर्वेदी निवासी जोधी का पूरा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना कोतवाली पर लिखित तहरीर दी गई कि दिनांक 22.06.2026 को उनके भाई की शादी के कारण परिवार के सभी सदस्य लखनऊ गए हुए थे तथा घर पर ताला बंद था। इसी दौरान विपक्षीगण द्वारा घर का दरवाजा तोड़कर जबरन प्रवेश किया गया तथा अपना सामान रखकर मकान पर कब्जा करने का प्रयास किया गया।

दिनांक 23.06.2026 को प्रातः परिवार के सदस्य घर वापस पहुंचे तो उक्त व्यक्तियों द्वारा गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी गई तथा कब्जा न हटाने की बात कही गई। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली पर **मु0अ0सं0 331/2026 धारा 119(1), 352, 351(3), 3(5) बीएनएस** पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना कोतवाली पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 03 महिला अभियुक्ताओं को दिनांक 23.06.2026 को समय 01:25 बजे **जोधी का पूरा** से गिरफ्तार कर नियमानुसार पुलिस अभिरक्षा में लिया गया।

गिरफ्तार अभियुक्ताओं का विवरण

1. जानकी देवी पत्नी सुभाष सोनकर निवासी जोधी का पूरा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
2. सरोजा देवी पत्नी सुरेन्द्र सोनकर निवासी जोधी का पूरा, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।
3. सीमा सोनकर पत्नी ईश्वर सोनकर निवासी रसूलपुर, थाना मुबारकपुर, जनपद आजमगढ़।

पंजीकृत अभियोग

मु0अ0सं0 331/2026 धारा 119(1), 352, 351(3), 3(5) बीएनएस, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम

- उ0नि0 राम किशोर शर्मा
- का0 अमर प्रजापति
- का0 विशाल यादव
- म0आ0 इंदु गुप्ता
- म0हो0गा0 मनीता यादव

जनपद पुलिस कानून व्यवस्था बनाए रखने एवं अवैध कब्जे जैसी घटनाओं के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही हेतु प्रतिबद्ध है।

थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़
☐ फर्जी दस्तावेज तैयार कर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह का एक सदस्य गिरफ्तार
☐ एसएससी जीडी भर्ती में चयन कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से अवैध धन उगाही का खुलासा
☐ गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध जनपद आजमगढ़ में तीन मुकदमे दर्ज, न्यायालय भेजा गया

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना रानी की सराय पुलिस द्वारा फर्जी दस्तावेज तैयार कर नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया गया है।

➡☐दिनांक 20.05.2026 को वादी पंकज यादव पुत्र लाल बहादुर यादव निवासी अंधौरी, थाना रानी की सराय द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर धोखाधड़ी करने के संबंध में थाना रानी की सराय पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था। विवेचना के दौरान कई अन्य व्यक्तियों के नाम प्रकाश में आए।

➡☐मुखबिर की सूचना पर दिनांक 22.06.2026 को समय 16:45 बजे बेलइसा बाजार के पास से अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
मुन्ना पासवान पुत्र स्व० प्रभूनाथ पासवान निवासी दुर्जनपुर, थाना रेवती, जनपद बलिया, उम्र करीब 36 वर्ष।

पूछताछ का सार-
पूछताछ में अभियुक्त ने बताया कि वह अपने सहयोगियों के साथ मिलकर एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों से धन लेकर फर्जी निवास एवं चरित्र प्रमाण पत्र तैयार करता था तथा कम मेरिट वाले क्षेत्रों में भर्ती कराने का झांसा देकर अवैध लाभ अर्जित करता था। मामले में अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता की जांच की जा रही है।

पंजीकृत अभियोग-
1. मु0अ0सं0-123/2026
   धारा 3(5), 319(2), 318(4), 336(4), 340(2), 61(2), 351(3), 352, 338 बीएनएस
2. मु0अ0सं0-132/2026
   धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 351(3) बीएनएस
3. मु0अ0सं0-147/2026
   धारा 3(5), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 351(3) बीएनएस

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0-132/2026
   धारा 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 351(3) बीएनएस
   थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़
2. मु0अ0सं0-123/2026
   धारा 3(5), 319(2), 318(4), 336(3), 340(2), 61(2), 351(3), 352, 338 बीएनएस
   थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़
3. मु0अ0सं0-147/2026
   धारा 3(5), 319(2), 318(4), 338, 336(3), 340(2), 351(3) बीएनएस थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़

गिरफ्तारी का स्थान एवं समय-
बेलइसा बाजार, थाना रानी की सराय, जनपद आजमगढ़
दिनांक 22.06.2026 समय 16:45 बजे

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-
- उ0नि0 हैदर अली मंसुरी, थाना रानी की सराय
- रि0का0 सरवर आलम खान, थाना रानी की सराय

जनपद पुलिस द्वारा भर्ती के नाम पर धोखाधड़ी एवं फर्जी दस्तावेज तैयार करने वाले गिरोहों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई निरंतर जारी है।